Regr. 98

From,

**S.S. Gautam**,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

**The District Judge,**
Bareilly.

52 No. 15771 / IV- 3330/ Admin (A) / Dated 20-11-2015

Subject:- Information, submitted by Sri Shakti Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/ACJM, Bareilly about allotment/ booking of flat no. AR/B-7/204, 3BHK in Arawali Enclave, Vrindavan Yojna, No. 3, Sector-12 by U.P. Awas Evam Vikas Parishad, Lucknow.

**Sir,**

With reference to your endt. no. 3811/XV dated 08.10.2015 on the above subject, I have to say that Sri Shakti Singh, Additional Civil Judge (Senior Division), Bareilly may kindly be asked to submit information about purchase of flat on completion of the transaction also along with a copy of the sale deed of the flat and other relevant papers, in the light of the directions contained in Court's Circular letter no. 25/ Admin (A) dated 13.07.1998, for taking further necessary action in the matter.

DR(M)
May issue?
04.11.15 S.O.
5/11/15
ARD
04/11/15
R.O.

Yours faithfully

5.11.15

Deputy Registrar

53. No. 15772 / IV- 3330/ Admin (A) / Dated 20-11-2015

Copy forwarded for information and necessary action to Sri Shakti Singh, Additional Civil Judge (Senior Division), Bareilly.

5.11.15
Deputy Registrar

प्रेषक,

शक्ति सिंह,
अपर लघुवाद न्यायाधीश,
बरेली।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, बरेली।

विषयः **फ्लैट चयन/आवंटन के सम्बन्ध में सूचना**

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के द्वारा वृन्दावन योजना, संख्या–3 सेक्टर–12 लखनऊ में स्थित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना के अन्तर्गत अरावली एन्क्लेव में फ्लैट सख्या ए आर/बी–7/204, 3 बी एच के (टाईप बी–2) आवंटित किया गया है। फ्लैट का अनुमानित विक्रय मूल्य 59,09,000/– रूपये है। अनुमानित विक्रय मूल्य में से अधिकांश धनराशि मेरे द्वारा बैंक से आवासीय ऋण लेकर अदा की जायेगी। पंजीकरण राशि एवं एक मुश्त धनराशि की अदायगी उपरान्त नौ त्रैमासिक किश्तो में भुगतान किये जाने के उपरान्त आवास विकास परिषद द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित किया जायेगा। जब आवास विकास परिषद द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित किया जायेगा तब उस समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13.07.1998 के अनुरुप निर्धारित प्रारूप में पूर्ण विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सेवा में प्रेषित किया जायेगा।

विनम्र अनुरोध है कि उक्त फ्लैट चयन/आवंटन की सूचना ग्रहण करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

दिनांकः 08.10.2015

(शक्ति सिंह),
अपर लघुवाद न्यायाधीश, बरेली।
आई.डी.नं. यू.पी.6352

संलग्नकः–

उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा आवंटन/चयन के सम्बन्ध मे भेजी गयी सूचना व मांग पत्र की छाया प्रति।

Rev-98

पंजीकृत डाक

IS 15700 2005

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर–9
वृन्दावन योजना लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS
Bureau of Indian Standards SQMS

7092 / स0प्र0 वृन्दावन / मांग पत्र / **AR/B-7/204** दिनांक 31-8-2015

श्री / श्रीमती / कु0 SHAKTI SINGH
पुत्र / पुत्री / पत्नी MAHADEV PRASAD SINGH
MAA BHAWAN MIG-4 MOTIJHEEL COLONY LUCKNOW
226004

विषयः–परिषद की वृन्दावन योजना, संख्या–3 सेक्टर–12 लखनऊ में स्थित स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना के अन्तर्गत अरावली एन्क्लेव में फ्लैट संख्या AR/B-7/204 के आवंटन / मांगपत्र के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पंजीकरण चालान संख्या 0020 द्वारा वृन्दावन योजना, संख्या–3 सेक्टर–12 लखनऊ में निर्माणाधीन अरावली एन्क्लेव मे 3BHK(Type-B2) का फ्लैट हेतु आवेदन किया गया है। आवास आयुक्त (म0) के आदेश स0 152 / सं0प्र0–3 / 97–2000(भाग–2) पंजीकरण दिनांक 03.07.2015 के क्रम मे आपको फ्लैट सं0 **AR/B-7/204** तल संख्या 2 के आवंटन हेतु आप सफल हुए है। फ्लैट का सुपर एरिया 155.79 (व0मी0) एवं अनुमानित विक्रय मूल्य रू0 59,09,000.00 है जिसमे से जमा पंजीकरण धनराशि रू0 3,20,000.00 का समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार परिषद खातों मे जमा करने का कष्ट करें।

| क्र0 सं0 | किश्त सं0 | धनराशि | सेवाकर | अन्तिम देय तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पंजी0 राशि पर देय सेवाकर | -- | 11,200.00 | निर्गत मांग पत्र की दि0 से 30 दिन के अन्दर |
| | प्रथम एक मुश्त | 11,70,000.00 | 40,950.00 | |
| 2 | प्रथम त्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.10.15 से 31.12.2015 तक देय |
| 3 | द्वितीय त्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.01.2016 से 31.03.2016 |
| 4 | तृतीय त्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.04.2016 से 30.06.2016 |
| 5 | चतुर्थ त्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.07.2016 से 30.09.2016 |
| 6 | पंचमत्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.10.2016 से 31.12.2016 |
| 7 | षष्टम् त्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.01.2017 से 31.03.2017 |
| 8 | सप्तम् त्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.04.2017 से 30.06.2017 |
| 9 | अष्ठम त्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.07.2017 से 30.09.2017 |
| 10 | नवम त्रैमासिक किश्त | 4,91,000.00 | 17,185.00 | 01.10.2017 से 31.12.2017 |

फ्लैट की प्रथम एक मुश्त धनराशि एवं त्रैमासिक किश्तों का भुगतान पंजाब नेशनल बैंक, शाखा साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ में खाता संख्या–4140012100000047 (पीली पर्ची) में एवं सेवाकर के विरुद्ध देय धनराशि खाता सं0–4793002100000943 (लाल पर्ची मे) अलग–अलग जमा करना होगा।

आयकर अधिनियम–1961 की धारा–194–1ए के अनुसार प्रत्येक किश्त की धनराशि मे से 1 प्रतिशत आयकर के रूप मे कटौती करते हुए परिषद के पैन नम्बर–AAAJU0103A पर आँपको जमा करना होगा। विलम्ब की दशा मे ब्याज भी देय होगा। जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। दण्ड ब्याज की जिम्मेदारी परिषद की नही होगी।

क्रमशः– 2

Regr. 98



# नियम एवं शर्ते

(1) पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पत्र के अनुसार देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(2) मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम देय की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष 09 त्रैमासिक किश्तो में देय होगी।

(3) यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नही किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिये जो अधिकतम तीन माह होगी, परिषाद नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज **(11. 5+2)=13.5%** प्रतिशत देय होगा तथा ब्याज की गणना मासिक की जायेगी।

(4) यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से तीन माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नही किया जाता हैं, तो उसका पंजीकरण पुस्तिका के नियम 5.3 के अनुसार स्वतः निरस्त हो जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमो के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुये बिना ब्याज के की जायेगी। आंशिक/पूर्ण भुगतान के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण की दशा मे सेवाकर का दायित्व आवंटी का होगा। जिसकी वापसी परिषद द्वारा नही की जायेगी।

(5) नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, जल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

(6) पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार फ्लैट्स पर अतिरिक्त मदो के विरूद्व देय धनराशि जमा करने की सूचना अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा दी जायेगी।

(7) पंजीकरण के उपरान्त मांगपत्र के अनुसार देय किष्तो की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद स्व वित्त पोषित अरावली एन्क्लेव बहुमंजिली आवासीय परियोजनाके नाम बैंक ड्राफ्ट जो लखनऊ शहर में देय हो, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा साउथ सिटी रायबरेली रोड, लखनऊ में खाता संख्या–2147 (पीली पर्ची) में एवं सेवाकर के विरूद्व देय धनराशि खाता सं0–4793002100000943 (लाल पर्ची मे) जमा करना होगा।

(8) बैंक में धनराशि जमा करते समय रसीद पर फ्लैट संख्या आवेदक का नाम, पता, योजना का नाम, फ्लैट श्रेणी, एवं सेक्टर संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाये तथा उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवंटी का उत्तरदायित्व होगा।

(9) फ्लैट के मूल्य में कमी– वृद्वि हो जाने पर, अन्तिम प्रदेशन पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।

(10) किसी शर्त में संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा एवं ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। शेष नियम व शर्ते पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार प्रभावी होगी।

(11) मांग पत्र निर्गत हाने की तिथि से एक माह (30 दिनों) क अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(12) बयाना धनराशि का बैंक ड्राफ्ट क्रेडिट होने की दशा मे ही आवंटन वैध होगा।

भवदीय,

उप आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 16:15:35 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad